(110)

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES — COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

R 1279/I/06

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००६ निगरानी

रामदत्त पुत्र बाबूराम बोहरे ब्राह्मण
निवासी ग्राम म्हरोली वाली, परगना
अटेर हाल वाटरवर्क्स नर्सरी के पास
तहसील व जिला भिण्ड, म०प्र० ---
प्रार्थी

विरुद्ध

श्री एस. के. हव स्मृति ह.दि. द्वारा आज दि. 18/7/06 को प्रस्तुत।
[signature] 7.06
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

१। रवीन्द्र नाथ पुत्र श्री हरज्ञान बोहरे
निवासी ग्राम म्हरोली वाली, तहसील
अटेर हाल निवासी ग्राम सोनी रेल्वे
स्टेशन, तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड
म०प्र०

२। कैलाश नारायण पुत्र श्री हरज्ञान बोहरे
निवासी म्हरोली वाली हाल निवासी
गेंड़े वाली सड़क, बकरा मंडी के पास
लश्कर (ग्वालियर) म०प्र०

[signature] 19/7/06

३। योगेन्द्रकुमार पुत्र श्री हरज्ञान बोहरे
निवासी ग्राम म्हरोली वाली, हाल
निवासी नबादा गोलम्बर के पास
तहसील व जिला भिण्ड, म०प्र०

४। राजेन्द्र पुत्र श्री हरग्यान बोहरे
निवासी ग्राम म्हरोली वाली, हाल
निवासी ह्लाइट टाकीज के पास
लश्कर (ग्वालियर) म०प्र०

५। महिला माया देवी बेवा श्री ज्ञान
हरज्ञान बोहरे, निवासी म्हरोली

—— २

काली हाल निवासी योगेन्द्र कुमार बोहरे का मकान नवादा गोलम्बर के पास, तहसील व जिला भिण्ड, म० प्र० -- असल प्रतिप्रार्थीगण

६। आनन्द कुमार उर्फ नीतू पुत्र श्री जुगल किशोर बोहरे, निवासी एहरौली काली, तहसील अटेर, जिला भिण्ड म० प्र०

७। ब्रजेश पुत्र श्री बाबूराम बोहरे संचालक म० प्र० राज्य परिवहन निगम डिपो मुरैना, तहसील व जिला मुरैना, म० प्र०

८। शिवदत्त पुत्र श्री छक्कीलाल बोहरे, निवासी वाटर वर्क्स रोड, नर्सरी के पास तहसील व जिला भिण्ड, म० प्र०

९। नन्द किशोर पुत्र श्री महेश बोहरे

१०। अरविन्द पुत्र श्री महेश बोहरे दोनों निवासी एहरौली काली, तहसील अटेर, जिला भिण्ड, म० प्र०

११। सुभाष कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश बोहरे, निवासी एहरौली काली तहसील अटेर, जिला भिण्ड, म० प्र०

१२। महिला रामदुलारि बेवा श्री ओम-प्रकाश बोहरे, निवासिन एहरौली काली, तहसील अटेर, जिला भिण्ड म० प्र०

१३। भगवती किशोर पुत्र श्री विश्व कुमार ब्राह्मण, निवासी वाटर वर्क्स रोड नर्सरी के पास, तहसील व जिला भिण्ड, म० प्र० -- --

तरतीवी प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्व आदेश अपर आयुक्त महोदय,चम्बल संभाग मुरैना दिनांक १६ जून, २००६ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू राजस्व संहिता, १६५६ । प्रकरण क्रमांक २६५/२०००-२००१ निगरानी ।

- -

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अपर आयुक्त महोदय एवम् अपर कलेक्टर महोदय की आज्ञाये कानूनन सही नहीं है ।

(२) यहकि अपर आयुक्त महोदय एवम् अपर कलेक्टरमहोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवम् कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा ।

(३) यहकि जिन आधारों पर अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने तहसील न्यायालय की आज्ञा को निरस्त किया है तथा तहसील न्यायालय व्दारा की गई कार्यवाही को अवैध एवम् अनियमित माना है वे कारण क्यों कर माने जाने योग्य नहीं है का कोई समुचित कारण अपर कलेक्टरमहोदय एवम् अपरआयुक्त महोदय व्दारा नहीं बताये गये हैं । विशेषकर अपर आयुक्त महोदय ने मात्र अपर कलेक्टर महोदय के आदेश को स्थिर रखा है ।

(४) यहकि प्रार्थी की ओर से जो आपत्तियां निगरानी न्यायालय में उठाई गई थी उन आपत्तियों पर न तो समुचित विचार ही किया गया और न उनका निराकरण ही किया गया ।

(५) यहकि यह निर्विवाद है कि प्रार्थी के पिता बाबूराम के लापता होने से उनकी तामील प्रारम्भिक न्यायालय में नहीं हो सकी तब उनकी सिविल डैथ मानते हुये कार्यवाही होना थी अथवा विधिवत कानून की कार्यवाही होना चाहिये थी । अपर आयुक्त महोदय एवम् अपर कलेक्टर महोदय ने अभिलेख का अवलोकन किये बिना ही अभिलेख के विपरीत तामील को विधिवत मानने में तथ्यात्मक भूल की है तथा इसी आधार पर प्रारम्भिक न्यायालय के आदेश को स्थिर रखने में भूल की है ।

(६) यहकि संहिता में कानून के सम्बन्ध में बने नियमों में प्रकाशन से

---- ४

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1279-एक/06 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29/04/2019	उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित। अनावेदक अभिभाषक ने शपथ-पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आवेदक द्वारा वारिसानों के रूप में पक्षकार बनवाई में आवेदक द्वारा पक्षकार बनाने हेतु क्र. 1 पर अंकित श्रीमती पुष्पा देवी की वर्ष 2005 में मृत्यु हो चुकी है। तथा उक्त् आवेदन-पत्र में क्र. 2 में श्रीमती पुत्री हरज्ञान पत्नी कृष्णमुरारी लिखा है, कोई नाम नहीं लिखा है। इस प्रकार न्यायालय को भ्रम में रखने का प्रयास किया जा रहा है। तथा लम्बे समय उपरांत पक्षकारों का सही संयोजन आवेदक द्वारा किया जा रहा है। प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा दिनांक 08.08.18 को अवगत कराते हुए कि अनावेदक क्र. 5 मायादेवी की मृत्यु हो जाने के कारण उनके वारिसान को रिकार्ड पर लाने हेतु समय चाहा। काफी समय व्यतीत हो जाने के पश्चात दिनांक 15.04.19 को मृतक पक्षकार के वारिसान को रिकॉर्ड पर लाने का आवेदन प्रस्तुत किया। इस आवेदन-पत्र में क्रमांक 1 पर अंकित प्रतिवादी पक्षकार की मृत्यु 14 वर्ष पूर्व अर्थात वर्ष 2005 में ही हो चुकी है। तथा द्वितीय पक्षकार के रूप में किसी का नाम न लिखते हुए केवल श्रीमती पुत्री हरज्ञान पत्नी कृष्णमुरारी लेख किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा न्यायालय को सही वारिसान की जानकारी न देकर उसे भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में जब शपथ-पत्र चाहा गया तो यह शपथ-पत्र आवेदक का शपथ-पत्र न होकर उसके पुत्र द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदक उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदक को शपथ-पत्र द्वारा साबित करने से बच रहा है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इतने महीनों से आवेदक का पक्षकारों के संयोजन को लेकर	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	सदाशयपूर्ण नहीं है एवं उचित पक्षकारों को संयोजित करने में कोई रुचि न लेते हुए न्यायालय को भ्रम में रखकर पक्षकारों के कुसंयोजन का प्रयास कर रहे हैं। उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह निगरानी उपसमित की जाती है। (बी.एम. शर्मा) सदस्य	